CHETANA
INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION (CIJE)
Peer Reviewed/Refereed Journal
(ISSN: 2455-8729 (E) / 2231-3613 (P))
Impact Factor
SJIF 2023 - 7.286

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

First draft received: 12.06.2023, Reviewed: 18.06.2023, Accepted: 26.06.2023, Final proof received: 30.06.2023

महिला सशक्तीकरण पर शिक्षा और समाज के प्रभाव का अध्ययन

डॉ रमेन्द्र तिवारी
असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षक–शिक्षा विभाग
नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय) प्रयागराज (उ0प्र0)
Email: ramendra1980@gmail.com, Mobile-8318082033

सारांश

महिलायें देश की आधी आबादी हैं और शिक्षा ही वह उत्तम मार्ग है जो महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक स्थिति को सुदृण बना सकता है। जिसमें महिलायें स्वयं जागरुक बनें साथ ही सरकार और विभिन्न संस्थाओं को महिलाओं की शैक्षिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करना होगा। महिला शिक्षा किसी समाज में उनकी स्थिति परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। क्योंकि इससे परिवार में उनकी स्थिति पुरूषों के समान हो सकती है जो परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में अपना योगदान कर सकती है। केवल सरकार के प्रयास ही काफी नहीं हैं बल्कि समाज को एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जहाँ किसी प्रकार का कोई लैंगिक विभेदीकरण न हो और महिला को अपने निर्णय लेने का पूरा अवसर मिले और वे देश की सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक जीवन में भी भागीदारी करें तो यह पूरी तरह से लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण का प्रतीक होगा। भारत एक ऐसा देश है जो पुरूष प्रधान है अतः महिलाओं को पुरूषों के कंधे से कंधे मिलाकर चलने में उच्च शिक्षा एक विशेष भूमिका निभा सकती है। जिससे महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य का प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्य शब्द : *महिला सशक्तीकरण, शिक्षा, समाज, सरकारी योजनाएँ, स्थिति, प्रभाव आदि.*

पुरुष का सम्पूर्ण जीवन स्त्री पर आधारित रहता है। पुरुष की निर्माणकर्त्री नारी है। उसके कल्याण–अकल्याण, ऊँच–नीच, सुख–दुःख, पतन और उत्थान का सम्पूर्ण भार स्त्री पर है। बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद किशोरावस्था में आने तक वह अधिकांश समय माता के संसर्ग में ही रहता है। माता का अर्थ यहाँ उन सभी नारियों से है जो एक घर, एक आँगन में रहती हैं। इस बीच बालक में संस्कार पड़ते हैं। अच्छे या बुरे संस्कारों का अनुकरण वह अपनी समीपवर्ती माताओं से ही करता है। यदि स्त्रियों में श्रेष्ठ संस्कार न हुए तो बच्चे का स्वभाव भी मलिन बनने लगता है। इसलिए स्त्रियों को संस्कारवान बनाने के लिए उनकी शिक्षा उपयोगी ही नहीं आवश्यक है, अनिवार्य है। महिलाएँ शिक्षा पुरुष में मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक गुणों का विकास करती है उससे स्त्रियों के भी मन और ह्रदय उन्नत और विशाल बनते हैं। इससे वह पुरुष को विवेकवान बनाती है। गृह व्यवस्था, सन्तान पालन का कार्य और राष्ट्र की तरक्की भी बुद्धिमत्तापूर्ण चला पाने की क्षमता उसे मिलती है, जिससे सुख–सन्तोष और शान्ति की परिस्थितियाँ बढ़ती हैं। शिक्षित नारियाँ हर प्रकार पुरुषों को सहयोग दे सकती हैं।

परिवार, समाज एवं राष्ट्र की दुर्दशा सुधारने के लिए स्त्री को, शिक्षित बनाने में तनिक भी देर नहीं की जानी चाहिये, यद्यपि एक लम्बी पराधीनता के बाद आज हमारी संस्कृति में नयी चेतना का संचार हुआ है। यह प्रसन्नता की बात है कि अब लोग जीवन के प्रत्येक पहलू पर सही सोचने लगे है। अब नारी–शिक्षा की भ्रान्त धारणाओं का अन्त हो चला है अब इसे सामाजिक शक्ति का आधार माना जाने लगा है। इसलिए अब हमें स्त्री–शिक्षा के शुभ–कार्य को पूर्ण उत्साह लगन व तत्परता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन में सुख और शान्ति इसी प्रयत्न के आधार पर आयेगी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार ने स्त्री शिक्षा के प्रसार के अधिक प्रयास के लिए भारतीय संविधान ने भी नारी को समकक्षता प्रदान करते हुए घोषित किया है कि– ''राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म–स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।'' संविधान की धारा 43 में यह स्पष्ट निर्देशित है कि 14 वर्ष तक के बालक–बालिकाओं को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। चाहे वह बालक या बालिका किसी भी जाति, धर्म की हो। परन्तु आज भी स्त्री पुरुष की साक्षरता दर में अन्तर है। इस अन्तर के मुख्य कारणों में आर्थिक सामाजिक, धार्मिक कारणों के साथ साथ अभिभावकों की भी मुख्य भूमिका हैं। अभिभावकों की सोच, मनोवृत्ति भी बालिका शिक्षा की प्रगति में बाधक बनी है। बालकों में अपने भविष्य को और बेटियों को दूसरे के घर जाना है, इस सोच के साथ वे बालक और बालिका में भेदभाव करतें हैं।

बालिकाएँ पारिवारिक, आर्थिक व सामाजिक कारणों से शिक्षा के आलोक से वंचित रह जाती है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1979–80 में **''अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम''** प्रारम्भ किया गया ताकि उन बच्चों को साक्षरता की दौड़ में समावेशित किया जा सके।

भारत–सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अन्तर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग (1992) की स्थापना की। **'ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड' के अन्तर्गत 50 प्रतिशत महिलायें शिक्षा प्रदान करेगी।**

'खुशहाल बालिका भविष्य देश का' नारा देखकर बालिकाओं के विकास के लिए प्रावधान किया गया है। **1997 में 'बालिका समृद्धि योजना'** प्रारम्भ हुआ। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 30 मार्च, 1993 को हुयी। प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 45 में जो कि नीति निर्देशक तत्व के अन्तर्गत आता है, यह निर्धारित किया गया था कि राज्य 6–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा।

सबको अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त कराने हेतु नवीं दसवीं व ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भिक शिक्षा को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। सभी वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ चलायी जा रही है जैसे मिड–डे मील (मध्याह्न भोजन) योजना, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, कन्या विद्याधन, छात्रवृत्ति, निःशुल्क पोशाक वितरण, बालिका समृद्धि योजना, किशोरी शक्ति योजना आदि। माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के लिए कन्या विद्याधन, निःशुल्क साइकिल आदि का वितरण किया जाता रहा है।

इसी दौरान द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 1958 में दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति' का गठन किया। उसका मुख्य सुझाव स्त्री शिक्षा को राष्ट्र की प्रमुख समस्या मानकर उसको वरीयता प्रदान करना था। पुरुषों एवं स्त्रियों की शिक्षा विषमता को त्यागकर समानता लाई जाय। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्त्री शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद नामक एक पृथक इकाई का 1959 में गठन किया गया और इसे देश में स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में नीति एवं योजना बनाने का कार्य सौंपा गया। इसके निर्देशन में स्त्री शिक्षा के विकास को विशेष गति मिली। प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान छात्राओं की संख्या 1951 की लगभग 60 लाख से बढ़कर 1964 में लगभग 140 लाख हो गई। 1961 में तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–66) शुरू हुई। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद (NCWE) ने हंसा मेहता समिति का गठन किया। इस समिति ने सुझाव दिया कि हमें पुरुषों एवं स्त्रियों के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यों के भेदों के आधार पर बालकों एवं बालिकाओं के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों का निर्माण करना चाहिए।

कोठारी कमीशन (1966)– ने स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव दिए कि स्त्री और पुरुषों की शिक्षा में किसी प्रकार की विषमता नहीं होनी चाहिए, दोनों को विकास का समान अवसर मिलना चाहिए। **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)** ने सुझाव दिया कि व्यावसायिक, तकनीकी, वृत्तिक शिक्षा तथा विद्यमान और उभरती प्रौद्योगिकी में महिलाओं के प्रवेश को बढ़ाया जाए। **जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP)–** यह कार्यक्रम मुख्यतः उन जिलों में शुरू किया गया जिनमें स्त्री साक्षरता प्रतिशत बहुत कम था। वहाँ बालिका माध्यमिक विद्यालय खोले गए तथा केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए 30% आरक्षण किया गया और उनकी शिक्षा निःशुल्क की गई। महिला समाख्या कार्यक्रम 1989 में शुरु किया गया। यह कार्यक्रम ग्रामीण एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं की शिक्षा और उनको अधिकार सम्पन्न करने का कार्यक्रम है। इन विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कारण 1981 में जहाँ देश में लगभग 4 करोड़ बालिकाएँ अध्ययनरत थी वहीं 1991 में इसकी संख्या बढ़कर 6.2 करोड़ हो गई। भारत में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) चल रही है। इस योजना में वंचित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुसलमान जाति) की लड़कियों के लिए सभी स्तर की शिक्षा की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 2008–09 के बजट में कस्तूरबा गाँधी बालिका योजना के अन्तर्गत दुर्गम स्थानों पर स्कूल खोले जा रहे है। 20 नए नवोदय विद्यालय खोलने की योंजना है जिनमें 30% स्थान लड़कियों के लिए सुरक्षित होते हैं। 10+2 स्तर पर महिलाओं के लिए अलग से पॉलीटेक्निक कॉलेज खोले जाने की योजना है साथ ही लड़कियों को उच्च शिक्षा के सभी पाठ्यक्रमों में विशेष सुविधाएं प्रदान की जाने की भी योजना है। स्नातक एवं परास्नातक स्तर के तकनीकी पाठ्यक्रमों में लड़कियों के लिए आरक्षण करने का भी विचार चल रहा है।

बालिकाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र अनेक आयोग, समिति, कार्यक्रम, व योजनाएं चलाई गई जिनका वर्षवार विवरण यहाँ दिया गया है– विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1953–54), राष्ट्रीय बालिका शिक्षा समिति (1958), हंसा मेहता समिति (1962), भक्तवत्सलम् कमेटी रिपोर्ट (1963), राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964–66), राष्ट्रीय शिक्षा–समिति (1970), प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (1978), इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (1985), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (1988), बालिका समाख्या योजना (1989), आचार्य राममूर्ति समिति (1990), संयुक्त राष्ट्र संघ का बाल अधिकार विषयक सहमति पत्र (1992), संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992), वृहद् राष्ट्रीय कार्यक्रम (1994), बालिका संरक्षण योजना (1996), बालिका समृद्धि योजना (1997), माँ बेटी सम्मेलन योजना (2002), साथिन योजना, बालिका प्रौढ़ केन्द्र, नवोदय व केन्द्रीय विद्यालय, बालिका अध्ययन केन्द्र तथा सेल, विमेन्स इंटिग्रेटिड लर्निंग फार लाइफ योजना, स्वास्थ्य सखी योजना एवं कामधेनु योजना।

इन सब प्रयासों से महिला शिक्षा का विस्तार और तेजी से होगा और कम से कम प्राथमिक स्तर पर तो व बालकों के अनुपात में 10:9 हो जाएगा ओर यही तो देश की कुल जनसंख्या में पुरुष–महिलाओं का अनुपात है। सरकार की इन्हीं सद्इच्छाओं व भागीरथ प्रयासों के चलते देश की साक्षरता दर सन् 1951 के 18.33 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 74.04 प्रतिशत हो गई। भारत के विभिन्न प्रान्तों में महिला साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से काफी कम है पर पुरुषों की तुलना में अभी भी 16.7% कम है।

आज स्त्री का जीवन घर की चारदीवारी से निकलकर अहं का सामाजिक प्रश्न बन गया गया है। मानवीय सम्बन्धों का स्थान मानसिक अन्तर्द्वन्द ने ले लिया है। आज की स्त्री स्वयं को जीना चाहती है परन्तु सदियों की परम्पराओं के अहम् में स्त्री के स्वयं का आज भी कोई स्थान नहीं है।

समाज के अस्तित्व एवं विकास में स्त्री और पुरुष दोनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है किन्तु जैसे–जैसे समय गुजरता गया स्त्री को अलग–थलग करके पुरुष ने सारी सत्ता अपने हाथों में ले ली। और जिस तरह वह धन, सम्पत्ति तथा जमीन पर अपना अधिकार समझता था उसी तरह उसकी नजर में स्त्री भी एक सम्पत्ति बन गई। पुरुषों ने पितृसत्तात्मक व्यवस्था के आदर्शों के अनुसार अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए सामाजिक नियमों एवं मान्यताओं में मनमाफिक परिवर्तन कर उन्हें दृढ़ता प्रदान की। प्राचीन काल विशेष वैदिक युग में स्त्रियों को गरिमापूर्ण जीवन स्थितियाँ प्राप्त थी। उन्हें शिक्षा, सम्पत्ति आदि के अधिकारों के साथ ही निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी थी। 'ऐतरेय' और 'तैत्तिरीय' ब्राह्मण, 'मैत्रायणी संहिता' आदि कई ग्रन्थों में स्त्री की पुरुष पर निर्भरता और बंधन सम्बन्धी अनेक विधान मिलते हैं। मनु तो नारी स्वतंत्रता का पूर्णतः निषेध करते हुए 'स्मृति' में लिखते हैं–

"पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने।
पुत्रश्य स्थाविरे भावे, न स्त्री स्वतंत्रता भमर्हती।"[1]

अर्थात् पुरुष को सदैव ही स्त्री की रक्षा करनी चाहिए तथा उन्हें भी कभी भी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। स्त्री की बाल्यावस्था में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करता है। स्त्री कभी स्वतंत्रता के योग्य नहीं होती। स्त्री की यह परतंत्रता मध्यकाल तक आते–आते और बढ़ जाती है। स्त्रियाँ पर्दाप्रथा, सती प्रथा जैसी अमानवीय प्रथाओं और बालविवाह, अनमेल विवाह, अशिक्षा, गरीबी आदि के यातनादायक चक्रव्यूह में घिर जाती हैं। आधुनिक काल में औपनिवेशिक शासन के समय तक स्त्रियों की स्थिति शोचनीय बनी रही। इसी समय शुरू हुए समाज सुधार आन्दोलन के बाद स्त्रियों को कुछ अधिकार मिले, कुप्रथाओं एवं सामाजिक बंधनानें की जकड़ ढीली तो पड़ी नागरिक अधिकार, कानूनी सुरक्षा एवं संरक्षण आदि के बावजूद समाज में स्त्री को लैंगिक भेदभाव, असुरक्षा, हिंसा, बलात्कार, बाल–विवाह, अनमेल विवाह, आर्थिक परनिर्भरता जैसी अनेक समस्याओं का समाना करना पड़ता है।

महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु पंचवर्षीय योजनाओं पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट होगा कि गरीबी के कारण महिलाओं की खराब दशा को सुधारने के लिए अनेक उपाय किए गए। साथ ही निर्धनतम परिवारों तथा महिलाओं को गरीबी की रेखा उठाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी। प्रारम्भिक काल में महिलाओं के सम्बन्ध मे कल्याणकारी दृष्टिकोण अपनाया गया और उनके लिए कार्य के अनुकूल वातावरण तैयार करने, सामाजिक सुरक्षा तथा पुरूषों के समान वेतन तथा मजदूरी दिलाने के लिए प्रयास किए गए। तीसरी पंचवर्षीय योजना के उपरान्त उन्हें कल्याणकारी कार्यक्रमों जैसे– मातृत्व लाभ, कौशल सुधार आदि कार्यक्रमों से जोड़ा गया जिससे वह सक्षम होकर लाभान्वित हो सके। 02 अक्टूबर 1975 को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) की शुरुआत की गई जिसमें बाल विकास की सर्वांगीण रूपरेखा बनाकर महिलाओं एवं बच्चों को लाभान्वित करने का कार्यक्रम किया गया।[2] छठी पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं के प्रति विकास का दृष्टिकोण अपनाया गया। महिलाओं को सशक्त बनाने तथा उन्हें उद्यमिता के माध्यम से विकास की धारा से जोड़ने के लिए महिला विकास निगमों की स्थापना की गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय महिला कोष का गठन किया गया जिससे अधिकाधिक महिलाओं को वित उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक कार्यकमों से जोड़ा जा सके। यद्यपि महिला सशक्तिकरण की अवधारणा सातवीं पंचवर्षीय योजना में रखी जा चुकी थी। परन्तु आठवीं एवं नवीं पंचवर्षीय योजना में इसे अत्यन्त बल मिला एवं अनेक परियोजनाएं जैसे स्वशक्ति, किशोरी शक्ति, बालिका समृद्धि, इन्दिरा महिला योजना आदि प्रारम्भ हुई परन्तु महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था।

---

[1] मनुस्मृति

[2] प्रेम नारायण शर्मा, संजीव कुमार झा, वाणी विनायक, स्व.सुषमा विनायक, (महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास), P-29 भारत बुक सेन्टर 17,अशोक मार्ग, लखनऊ

संविधान में 63वां, 64वां संशोधन जिसके माध्यम से उन्हें पंचायत तथा नगर पंचायतों में आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व का अवसर मिला। उसके उपरान्त विकास की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी निश्चित ही सुदृढ़ हुई एवं महिला विकासोन्मुखी वातावरण तैयार करने में उनकी अहम भूमिका उभरी। पंचायती राज संस्थाओं की बढ़ती भागीदारी के साथ–साथ महिला नेतृत्व को भी अवसर प्राप्त हुआ है कि वह कल्याणकारी व विकास योजनाओं के सही क्रियान्वयन द्वारा अपना विकास सुनिश्चित कर सके तथा अभी तक निरन्तर प्रयासों के बावजूद विकास की मुख्यधारा से बनी दूरी को मिटा सके।

वर्तमान समय और समाज में स्त्री का जीवन अनेक समस्याओं से घिरा है जिसका प्राथमिक कारण सामाजिक और परम्परागत बंधन हैं। जो जन्म के साथ ही धर्म, संस्कृति, इज्जत–मर्यादा जाति, परम्परा आदि के नाम पर उन पर लगाए जाते हैं। इन बंधनों के कारण स्त्री शिक्षा, रोजगार, सम्पत्ति आदि के अधिकार और सामाजिक स्वतंत्रता से रहित होकर आजीवन एक अघोषित चहारदिवारी में कैद होकर रह जाती है। अशिक्षित होने की वजह से अपने अधिकारों से अनजान अन्याय, उत्पीड़न और अत्याचार सहती रही है। प्रशासनिक भेदभाव, शोषण एवं अत्याचार दलितों के लिए सामाजिक भेदभाव की तरह ही एक जटिल समस्या है।

आजादी के बाद महिलाओं के सम्बन्ध में दहेज विरोधी कानून, सम्पत्ति में बराबर का अधिकार, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय महिला कोष जैसी विभिन्न योजनाएं चलाई गई।

वर्तमान में जब नारी सशक्तीकरण इतना का इतना उल्लेख सर्वत्र हो रहा है, तब इस तथ्य पर विचार करना आवश्यक हो जाता है कि यह सशक्तीकरण वास्तविकता के कितने करीब है? जब हम सर्वत्र यह देखते सुनते हैं कि नयी सदी में नारी ने नवीन ऊँचाइयाँ छू ली है एवं पुरानी मान्यताओं को पीछे छोड़ आगे बढ़ रही है, अपनी अलग पहचान बना रही है जब कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स के नाम हमारे समक्ष आते हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में झण्डे गाड़े या राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाली अनेक महिलायें जिन्हें नारीशक्ति की मिसाल के तौर पर देखा जाता है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि यह कैसा सशक्तीकरण है? जहाँ इतनी असमानता व्याप्त है। एक तरह हर तरह से शोषण का शिकार हो गुमनामी के अंधेरे में जीने एवं मरने को मजबूर महिलायें, दूसरी तरफ ये चमकते चेहरे तो नारी सशक्तीकरण का प्रतीक है।

निष्कर्ष

महिलायें देश की आधी आबादी हैं और शिक्षा ही वह उत्तम मार्ग है जो महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक स्थिति को सुदृण बना सकता है। जिसमें महिलायें स्वयं जागरुक बनें साथ ही सरकार और विभिन्न संस्थाओं को महिलाओं की शैक्षिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करना होगा। महिला शिक्षा किसी समाज में उनकी स्थिति परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। क्योंकि इससे परिवार में उनकी स्थिति पुरूषों के समान हो सकती है जो परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में अपना योगदान कर सकती है। केवल सरकार के प्रयास ही काफी नहीं हैं बल्कि समाज को एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जहाँ किसी प्रकार का कोई लैंगिक विभेदीकरण न हो और महिला को अपने निर्णय लेने का पूरा अवसर मिले और वे देश की सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक जीवन में भी भागीदारी करें तो यह पूरी तरह से लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण का प्रतीक होगा। भारत एक ऐसा देश है जो पुरूष प्रधान है अतः महिलाओं को पुरूषों के कंधे से कंधे मिलाकर चलने में उच्च शिक्षा एक विशेष भूमिका निभा सकती है। जिससे महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य का प्राप्त किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- खेत्रपाल, भीमसेन : घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 खेत्रपाल पब्लिकेशन 69 एम.जी. रोड रामपुरावाला बिल्डिंग, इन्दौर
- कपिल, डॉ. एच.के.(2008): अनुसंधान विधियाँ, भार्गव बुक डिपो कचहरी घाट आगरा
- कपूर डॉ. एस.के. (2009):अन्तर्राष्ट्रीय विधि, आई.एल. इण्डियन लॉ. एजेन्सी, नई दिल्ली
- प्रेम नारायण शर्मा, संजीव कुमार झा, वाणी विनायक, स्व.सुषमा विनायक, (महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास), भारत बुक सेन्टर 17,अशोक मार्ग, लखनऊ
- पाण्डेय, वी.पी.(1999): इण्टरनेशलल पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन राइट्स मोहित पब्लिकेशन, नई दिल्ली
- कुमार, लोकेन्द्र (2013) ने महिला सशक्तिकरण में ग्रामीण परिवारों में पति–पत्नी के सम्बन्धों पर प्रभाव : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, शोध–ग्रन्थ, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, परिसर, मेरठ
- कुमार, कान्तेश्वर कुमार (2014). महिलाओं के सामाजिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण में स्वसंहायता समूह की भूमिका का विश्लेषण अध्ययन (राजनांदगॉव जिले के विशेष संदर्भ में), शोध–प्रबन्ध, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ0ग0)
- गदाधर मोहपात्रा (2014) ''डायनामिक ऑफ पावर्टी : रोल ऑफ विमेन सेल्फ हैल्प ग्रुप इन कालाहांडी डिस्ट्रीक्ट'' (Ph.D. Thesis) जवाहर लाल विश्वविद्यालय
- देवांगन, अन्नपूर्णा (2011). महिला सशक्तिकरण एवं महिला स्व सहायता समूह का अध्ययन (रायपुर जिले के संदर्भ में), शोध प्रबन्ध, पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ0ग0)
- विनीता तायल (2013) ''सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिकाः एक समाजशास्त्री अध्ययन'' (Ph.D. Thesis) बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
- वीरेन्द्र सिंह (2014) ''महिला सशक्तिकरण में भारतीय संसद की भूमिका'', पी–एच0डी0, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
- सी. राम एब्आय (2013) ''विमेन एम्पावरमेंट थ्रो सेल्फ हैल्थ ग्रुप : स्टडीज'' (Ph.D. Thesis) श्रीवैंकटेश्वर विश्वविद्यालय
- शुक्ला, हंसा (2004). भारत में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रमों का मूल्यांकन, शोध–प्रबन्ध, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ0ग0)
- श्रीवास्तव, रीना (2013) ने ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक प्रस्थिति एवं महिला सशक्तीकरण : एक समाजशास्त्रीय विवेचन, शोध प्रबन्ध, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर
- सुगुना, एम (2011), एजुकेशन एण्ड वूमैन एम्पावरमेंट इन इण्डिया, तमिलनाडु, 2(1)।
- कुमार, डा0 एस0 श्रवण; पल्लनिसामी, एम (2013), इम्पेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन वूमैन एम्पावरमेंट इन इण्डिया, तमिलनाडु, 2(11)।
- शर्मा, रूपाली; एफरोज, जिया (2014), वेमैन एम्पावरमेंट थ्रू हायर एजुकेशन, रामा डिग्री कॉलेज, लखनऊ, तमिलनाडु, 1(5), पृ0 18–22।
- यादव, सुधा बी (2011), ए स्टडी ऑन स्टेटस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वूमैन इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट, गुजरात।
- सोनवाल, मुकुत कुमार (2013), इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन इन वूमेन एम्पावरमेंट : ए केस स्टडी ऑफ एस.सी./एस.टी. विमेन ऑफ सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट, आसाम।

समाचार पत्र–पत्रिकायें

1. दैनिक भास्कर, ग्वालियर
2. पत्रिका, ग्वालियर
3. नई दुनिया, ग्वालियर
4. दैनिक आचरण, ग्वालियर
5. प्रदेश टुडे, ग्वालियर
6. योजना
7. कुरुक्षेत्र
8. इण्डिया टुडे
9. आउटलुक
10. प्रतियोगिता दर्पण
11. क्रानिकल के विभिन्न आलेख
12. दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान।
13. द हिन्दू,
14. द टाइम्स ऑफ इण्डिया

Websites

- www.google.in
- www.webdunia.com
- www.wikipedia.com